भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 4095
गुरूवार, 7 अप्रैल, 2022/17 चैत्र, 1944 (शक)

पलायन को रोकने के लिए रोजगार के अवसर

4095. श्री हरनाथ सिंह यादवः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास लोगों का महानगरों की ओर पलायन को रोकने के लिए उपर्युक्त क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कोई विशेष योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग) : ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों सहित देश में नियोजनीयता में सुधार के साथ रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार द्वारा रोजगार अवसरों से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए, केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) आदि के माध्यम से बहु-आयामी रणनीतियां अपनायी जा रही हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कामगारों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30.06.2021 से बढ़ाकर 31.03.2022 कर दिया गया है। 26.03.2022 तक 1.38 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 54.67 लाख लाभार्थियों को 4378.44/- करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया गया है।

प्रधान मंत्री रेहड़ी-पटरी वालों की आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना 01 जून, 2020 को प्रारंभ की गई थी ताकि कोविड-19 के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वालों को शहरी क्षेत्रों में पटरी लगाने हेतु अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए, कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान किया जा सके। इस योजना के तहत, 07.03.2022 की स्थिति के अनुसार 29.85 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को 3,075.85 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत 11.03.2022 तक 34.8 करोड़ ऋण अनुमोदित किए गए।

पीएम गतिशक्ति आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण सात इंजनों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित है। यह दृष्टिकोण स्वच्छ ऊर्जा और सबके प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के विशाल अवसर पैदा हों।

भारत सरकार पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों आदि जैसी योजनाओं/कार्यक्रमों पर सार्वजनिक व्यय करना शामिल है।

*****